आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

पी०डी०एस० अपील वाद संख्या –18 / 2022

मो० अशफाक

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	*आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर*	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
13.04.2023	यह वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No. 12723 / 2021 में दिनांक–13.01.2022 को पारित आदेश के आलोक में दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 13.01.2022 को पारित आदेश का अंश निम्न प्रकार है :– **"As such, petition stands disposed of in the following mutually agreeable terms.** **(a) Petitioner is permitted to prefer a revision within a period of four weeks from today;** **(b) In the event of revision being preferred within a period of four weeks from today, the issue of limitation shall not come in the way of adjudication of the revision on merits."** वादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है किः– (i) वादी (मो० अशफाक) द्वारा दिनांक 26.06.2018 एवं 07.07.2018 को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विक्रेता की अनुज्ञप्ति हेतु दो आवेदन समर्पित किया गया। (ii) वादी द्वारा दिनांक 04.07.2018 को अपना त्याग–पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाजपट्टी को समर्पित किया गया। जिसे प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा 05.07.2018 को स्वीकृत किया	

WEB COPY NOT OFFICIAL

गया।

(iii) विपक्षी सं0–06 (श्रीमती शोभा कुमारी) के चयनमुक्ति के बाद विपक्षी सं0–07 (श्री अमलेश कुमार) को चयनित किया गया, जबकि पुनरीक्षणकर्ता का नाम मेधा क्रमांक 01 पर था।

(iv) वादी सर्वाधिक योग्य आवेदक है। उसे स्नातकोत्तर में 84. 68 % अंक प्राप्त है।

(v) आवेदक द्वारा अपना त्याग–पत्र नियम एवं पूर्व न्यायिक निर्णय के अनुसार सक्षम प्राधिकार को दिया गया ।

(vi) विपक्षी सं0–07 (श्री अमलेश कुमार) को अनुज्ञप्ति निर्गत किया जाना अवैध है क्योंकि विपक्षी सं0–07 (श्री अमलेश कुमार) का नाम मेधा क्रमांक 03 पर एवं पुनरीक्षणकर्ता का नाम मेधा क्रमांक 02 पर था। अतएव जिला स्तरीय चयन समिति का उक्त निर्णय निरस्त होने योग्य है।

विपक्षी सं0–07 (श्री अमलेश कुमार) का कहना है कि वादी (मो० अशफाक) आवेदन की तिथि को वार्ड सदस्य (उप–मुखिया) के पद पर कार्यरत थे। पुनरीक्षणकर्ता वर्तमान में भी उक्त पद पर कार्यरत है। इसलिए जिला स्तरीय चयन समिति, सीतामढ़ी द्वारा ''बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका 11 (ii) के आलोक में पुनरीक्षणकर्ता का अनुज्ञप्ति हेतु चयन नहीं किया गया।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक का कहना है कि ग्राम पंचायत के सदस्य को अनुज्ञप्ति निर्गत करने का प्रावधान नहीं है। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा सक्षम प्राधिकार को त्याग–पत्र नहीं दिया गया। त्याग–पत्र की स्वीकृति के संबंध में सक्षम प्राधिकार द्वारा कार्यालय आदेश निर्गत किया जाता है, जिसमें पत्रांक एवं दिनांक अंकित होता है। परंतु वादी द्वारा समर्पित त्याग–पत्र आवेदन पर ही 'स्वीकृत' अंकित किया गया है जो संदेहास्पद एवं अस्वीकार्य है। अतः यह पुनरीक्षण वाद खारिज होने योग्य है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता एवं विशेष लोक अभियोजक को सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह वाद सीतामढ़ी जिला में

WEB COPY NOT OFFICIAL

पंचायत–बेलहिया के अंतर्गत जन वितरण प्रणाली की विक्रेता की अनुज्ञप्ति निर्गत करने से संबंधित है। वादी (मो० अशफाक) के ग्राम पंचायत सदस्य (उप–मुखिया) के पद पर कार्यरत रहने के कारण जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा उन्हें अयोग्य घोषित करते हुए विपक्षी सं0–07 (श्री अमलेश कुमार) को अनुज्ञप्ति हेतु चयनित किया गया।

वादी के विद्वान अधिवक्ता का यह दावा कि अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन के पूर्व वादी द्वारा उप–मुखिया के पद से त्याग–पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिनांक 05.07.2018 को समर्पित किया गया, के संबंध में कहना है कि ***"बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006"*** के नियम 18 (1) में अंकित है कि ***"मुखिया/उप–मुखिया जिला पंचायती राज पदाधिकारी को स्वयं लिखकर अपने पद से त्याग–पत्र दे सकेगा।"*** इस प्रकार स्पष्ट है कि वादी द्वारा सक्षम प्राधिकार को त्याग–पत्र समर्पित ही नहीं किया गया है, जिस आधार पर वे अपना दावा कर रहे हैं। अतएव उनका यह दावा मान्य नहीं हो सकता है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा जो त्याग–पत्र उपलब्ध कराया गया है वह मात्र एक आवेदन है, जिसकी सत्यता का कोई प्रमाणिक तथ्य (किसी कार्यालय से आगत, निर्गत एवं संबंधित को संसूचित) आवेदन पर अंकित नहीं है। अतएव उक्त आवेदन (त्याग–पत्र हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया आवेदन) का कोई औचित्य नहीं है।

"बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016" की कंडिका 11(ii) में अंकित है कि ***"मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य इस रूप में अपने कार्यकाल तक उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निरर्हित (disqualified) रहेंगे।"*** जिस आधार पर जिला स्तरीय चयन समिति ने विपक्षी सं0–07 (श्री अमलेश कुमार) के पक्ष में अनुज्ञप्ति निर्गत करने का निर्णय लिया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में जिला स्तरीय चयन समिति, सीतामढ़ी द्वारा लिया गया निर्णय नियमानुकूल है, जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत अपीलवाद अस्वीकृत किया जाता है।

WEB COPY NOT OFFICIAL

	लेखापित एवं संशोधित आयुक्त आयुक्त।	

WEB COPY NOT OFFICIAL